>

Title: Need to ensure uniformity in Pension Scheme and other financial rules for the retired personnel of para-military forces in comparison to the Civil Servants in the country.

श्री राम सिंह कस्वां (चुरू): अर्द्ध सैनिक बल देश के सभी रक्षा अभियानों में रक्षा की प्रथम रेखा है और राष्ट्र रक्षा में सेना के समान ही अर्द्ध सैनिक बलों की भूमिका है, लेकिन सेवानिवृत्ति के पश्चात् मिलने वाले आर्थिक लाभांशों जैसी मांगों को यह कह कर ठुकरा दिया जाता है कि पैरामिलिट्री फोर्स सी.सी.एस. पेंशन नियमों से संचालित है, इसलिए दोनों सेवाएं एक समान नहीं हो सकती । अर्द्ध सैनिक बल भारत संघ से सशस्त्र बल है, इनकी सेवाएं और सिविल सर्विस कर्मचारियों की भूमिका में दिन-रात का अंतर है फिर दोनों सेवाएं एक जैसी नियमों से संचालित कैसे हो सकती है । अर्द्ध सैनिक बलों के लगभग 10 लाख एवं 7 लाख सेवानिवृत कार्मिक सरकार के इस व्यवहार से काफी असंतुष्ट है, वे अलग सेवा नियम रक्षा कार्मिकों की भांति लागू किए जाने, सेवा के दौरान प्राणों की आहूति देने वाले कार्मिकों को शहीदों का दर्जा दिए जाने, एक रैंक एक पेंशन का आर्थिक लाभांश, प्रत्येक जिले में सी.एस.डी. कैंटीन की स्थापना, बी.एस.एफ. सेवानिवृत नियम 19 के तहत सेवानिवृत हुए सभी कार्मिकों को पेंशन दिए जाने आदि की मांग काफी समय से करते आ रहे हैं । मेरी सरकार से मांग है कि अर्द्ध सैनिक बलों की महत्वपूर्ण मांगों को अविलंब स्वीकार कर इन्हें राहत प्रदान की जाए ।